सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 84 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :–09.04.2025

GCMS ID-2025 / 141

बउनवान

1. राजेश कुमावत आयु 22 वर्ष पिता फुन्दीलाल जात्ति कुमावत निवासी मांगली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.
2. सोनिया आयु 31 वर्ष पुत्री फुन्दा पत्नी रविन्द्र जाति कुमावत निवासी हाल अलोद, पुलिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन।
वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक :– 28 / 01 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 11 स.सं. 449,457 / 611,457 / 612 460, 673 / 457 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मांगली कला पटवार मण्डल मांगली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित है, जो प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है. प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमियो के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण राजेश कुमावत का नाम नाबालिग राजू पुत्र फुन्दा व सोनिया का नाम नाबालिग सुनिता पुत्री फुन्दा दर्ज हो रहा है। प्रार्थीगण वर्तमान मे पूर्ण रूप से बालिग हो चुके है, तथा प्रार्थीगण का नाम राजेश कुमावत व सोनिया है. जो प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेज में पर्ज है, इसलिये उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के सभी सरकारी दस्तावेजात, राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, आदि में प्रार्थीगण का नाम राजेश कुमावत व सोनिया है, लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो मे प्रार्थीगण का नाम नाबालिग राजू व नाबालिग सुनिता दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले पा रहे है। तथा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थीगण को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्रार्थीगण के सही नाम राजेश कुमावत व सोनिया है तथा पहचान के सभी दस्तावेजात में भी उक्त नाम ही दर्ज है, इसलिये राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो रहे गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सही नाम राजेश कुमावत व सोनिया दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.03.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थीगण का नाम नाबालिग राजू पुत्र फुन्दा एवं नाबालिग सुनिता पुत्री फुन्दा के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर सही नाम राजेश कुमावत पिता फुन्दीलाल व सोनिया पुत्री फुन्दीलाल दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम दर्ज करवावे। भूमि ग्राम मांगली कला पटवार मण्डल मांगली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 11 ख.सं. 449,457/611,457/612, 460, 673/457 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मांगली कला पटवार मण्डल मांगली कला तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण का नाम नाबालिग राजू पुत्र फुन्दा व नाबालिग सुनिता पुत्री फुन्दा के स्थान पर राजेश कुमावत पुत्र फुन्दीलाल, सोनिया पुत्री फुन्दीलाल राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी मे दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/3395 दिनांक :–18. 12.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम मांगलीकला के खाता संख्या 11 में प्रार्थीगण का नाम नाबा0 राजू पुत्र फून्दा व नाबा0 सुनिता पुत्री फून्दा सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज नाबा0 राजू पुत्र फून्दा व राजेश पुत्र फून्दा एक ही व्यक्ति के नाम होने से एवं नाबा0 सुनिता पुत्री फून्दा व सोनिया पुत्री फून्दा एक ही महिला के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज नाबा0 राजू पुत्र फून्दा के स्थान पर पर प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र फून्दा व नाबा0 सुनिता पुत्री फून्दा के स्थान पर सोनिया पुत्री फून्दा शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का सही नाम राजेश पुत्र फून्दा व सोनिया पुत्री फून्दा है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन आधार, बैंक खाता डायरी, अंक तालिका उच्च मा० परीक्षा 2022, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किए है जिसमें प्रार्थीगण का सही नाम राजेश पुत्र फून्दा व सोनिया पुत्री फून्दा है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम मांगलीकला प०मं० मांगलीकला के खाता संख्या 11 में दर्ज प्रार्थीगण के नाम नाबा० राजू पुत्र फून्दा व नाबा० सुनिता पुत्री फून्दा के स्थान पर राजेश पुत्र फून्दा व सोनिया पुत्री फून्दा शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–28.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर०ए०एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446